आपदा प्रबंधन
एवं
सहायता मार्गदर्शिका

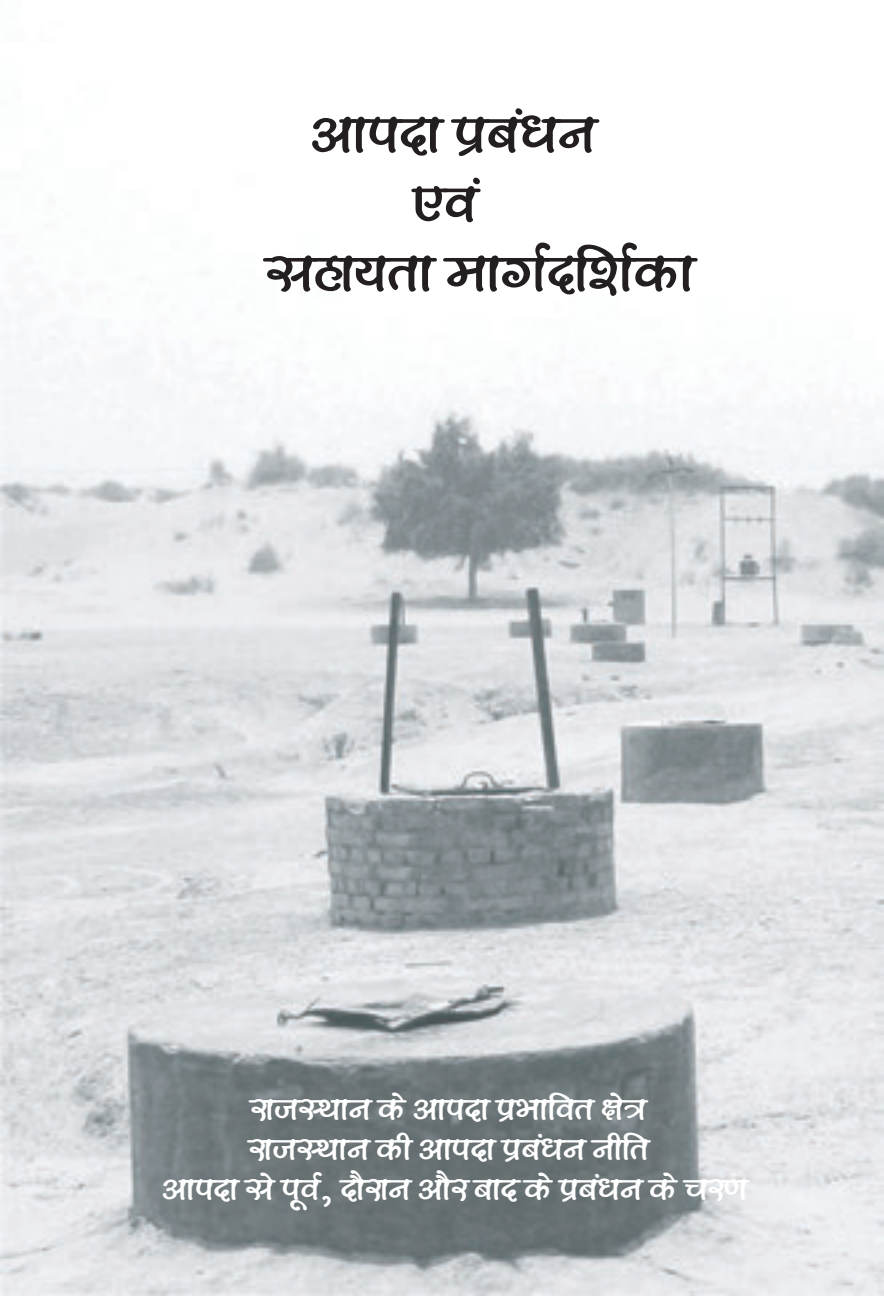

राजस्थान के आपदा प्रभावित क्षेत्र
राजस्थान की आपदा प्रबंधन नीति
आपदा से पूर्व, दौरान और बाद के प्रबंधन के चरण

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मार्गदर्शिका

संस्करण/ श्रृंखला

प्रथम/ डी.आर.एम. 1/2013

मार्गदर्शन

ज्ञानेंद्र श्रीमाली

संपादन

रवि चतुर्वेदी, सुनील लहरी

रूपरेखा

रवि मिश्रा

प्रकाशक

URMUL SEEMANT

उरमूल सीमांत समिति, बज्जू
बीकानेर-334305, राजस्थान
फोन 01535-232034

प्रकाशन सहयोग

Plan

मुद्रक

अरोड़ा प्रिंटर्स, बीकानेर

इस किताब की प्रति पाने के लिए उरमूल सीमांत से ऊपर दिए पते पर संपर्क करें

आमुख

आपदा प्रबंधन पर आधारित यह मार्गदर्शिका राजस्थान और राजस्थान में आपदा की पृष्ठभूमि को रखते हुए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन नीति को बताती है। सामान्य समय में, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद शासन, प्रशासन सहित सहयोगी संस्थाओं व गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिकाओं को इस नीति में विस्तृत तौर पर बताया गया है। इसलिए आपदा प्रबंधन में कार्य कर रहे कर्मचारियों और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के लिए इन नीतियों को जानना बहुत जरुरी है।

अनुक्रमणिका

राजस्थान और आपदा 1
आपदाओं का वर्गीकरण 1
राजस्थान में आपदा प्रभावित क्षेत्र 7
आपदा प्रबन्धन की पारम्परिक व्यवस्था 8
आपदा प्रबन्धन नीति की आवश्यकता 9
आपदाओं की रोकथाम की प्रशासनिक व्यवस्था 12
आपदा प्रबन्धन के तीन चरण 18
प्रथम चरण 18
द्वितीय चरण 25
तृतीय चरण 29
रोकथाम और नियंत्रण के कार्य एवं विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी 31
प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की सहायता हेतु प्रार्थना पत्र 43

आपके क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन अधिकारियों के संपर्क नंबर

नाम	पद	मोबाइल नंबर

राजस्थान और आपदा

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बडा राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह बार-बार अभावग्रस्त एवं अकालग्रस्त हो जाता है। यहाँ की 40 प्रतिशत जनता थार मरूस्थल में रहती है। 70 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। 2007 की पशु जनगणना के अनुसार राज्य में 566.63 लाख पशु हैं जो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में 8 फीसदी का सहयोग देती है।

राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। मानसून की विफलता एवं बार-बार अकाल, स्थिति को ज्यादा गम्भीर बना देती है। इसके दुष्प्रभाव विभिन्न प्रकार से दृष्टि गोचर होते हैं - कृषि उत्पादन एवं चारा सहकृषि गतिविधियां (जैसे पशुपालन, भेड़ पालन आदि), पशु एवं मानव दोनों के लिए पानी एवं भोजन की कमी आदि ? सूखे के अतिरिक्त मानसून का अन्य खतरनाक पहलू राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ के रूप में सामने आता है, जबकि उसी समय अन्य हिस्सों में अकाल एवं सूखा रहता है। इस प्रकार सूखा एवं बाढ़ से राज्य की समस्त अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जिससे आर्थिक विकास की समस्त गतिविधियों के बजट का विमुखन हो जाता है। प्रमुख आपदाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार है

आपदाओं का वर्गीकरण

जलवायुसम्बन्धी

बाढ़ – प्रदेश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। जिसके बाद इन नदियों के किनारे बसे इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राजस्थान में बाढ़ से मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों में कोटा संभाग एवं जयपुर संभाग के भरतपुर और अलवर जिले आते हैं, परन्तु पिछले कुछ वर्षो से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिले में भी बाढ़ आई है।

सूखा कम वर्षा कृषक और पशुपालकों के जीवन-यापन को दुर्बल कर देती है। जबकि हर चौथा साल सूखे से प्रभावित होता है।

चक्रवात– राजस्थान आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के अनुसार राज्य के डूंगरपूर और बांसवाड़ा जिलों को छोड़कर पूरा राजस्थान चक्रवात प्रभावित माना गया है। तेज बारिश में तेज आंधी होने के कारण चक्रवात की आशंका बनी रहती है।

बादलकाफटना– तेज बारिश और बिजली के साथ-साथ बादल का फटना भी आपदा लेकर आता है। इससे उस स्थान पर बाढ़ आ जाती है। जिसमें जान-माल की हानि होती है।

लू, गर्मएवं ठण्डीहवाएँ, पाला, आंधियाँ, तूफान/ओलावृष्टि 0 से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के होने और उसमें हवा का तेज चलना, लू और ठण्डी हवा से सबको प्रभावित करता है। नतीजतन कई लोग हर साल लू और ठण्डी हवा से मरते हैं। इसी तरह ओलावृष्टि और पाला पड़ने से फसल तो चौपट होती ही है, पशुधन को भी नुकसान होता है।

बिजलीकागिरना– तेज बारिश और खराब मौसम के बीच बिजली का गिरना आपदा लेकर आता है। इस दौरान बिजली कहीं भी गिर सकती है। भवन, खेत, पशु बाड़ों पर बिजली गिरने से जान-माल की हानि होती है।

भू-गर्भसम्बन्धी

भूकम्प पृथ्वी की परत से अचानक तेज ऊर्जा के आने से भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर भूकम्प अपने आप को, भूमि को हिलाकर और विस्थापित कर के प्रकट करता है।

भूस्खलन भूकंप के झटकों से पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी चट्टानें और बड़े क्षेत्र की भूमि धस जाती है। जिससे भूस्खलन हो जाता है।

ज्वालामुखी–भूकम्प के झटके और तेज ऊर्जा को अगर बाहर निलकने का रास्ता मिलता है तो वह लावा बनकर भूमि से बाहर आता है। इसे ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। आमतौर पर भारत में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं हैं।

बांध का टूटना– पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटना या फिर उस स्थान पर भूकंप के झटके पानी को रोकने के लिये बनाये गये बांध को तोड़ देते हैं। इससे बांध के नीचे बसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है।

खान में आग लगना–अत्यधिक गर्मी के कारण और भूमि को निरंतर खनिज के लिए एक ही स्थान पर खोदने से वहां की उर्जा अपने निकलने के लिए स्थान तलाश करती है। आंतरिक भू-भाग के अत्यधिक गर्म होने के कारण जैसे ही वहां खुदाई की जाती है, तो उस खान में आग लग जाती है।

रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धी

रासायनिक विपदा– ऐसी आपदा मूलतः लापरवाही के कारण रासायनिक गैस के वातावरण में फैलने या पानी दूषित होने के कारण रासायनिक हो जाने से होती हैं। पर्यावरण में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण भी रासायनिक वर्षा आदि होने की संभावना होती है। रासायनिक विपदाओं से मूलतः ऐसे देश बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहां उद्योगों की संख्या बहुत ज्यादा है।

औद्योगिक विपदा– औद्योगिकरण के कारण धीमी गति से आपदा फैलती है। जिसका प्रभाव धीरे-धीरे पता चलता है परन्तु यह ाफी समय तक उस इलाके को प्रभावित करती है। जैसे लोगों में दमे की बीमारी हो जाना, प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ना। आप पायेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में अधिकतर लोगों में क्षय रोग (टी.बी.) पाया जाता है।

परमाणु विपदा–परमाणु हमले, ऐसी सामग्री जिनमें रेडियोधर्मी की मात्रा मौजूद है उनको कबाड़ में इक्ट्ठा हो जाने या फिर रेडियोधर्मी की विकिरणों से फैली विपदा परमाणु विपदा की श्रेणी में आते हैं। रेडियोधर्मी जिस जगह से खनिज के तौर पर निकलता है उसके आसपास का पर्यावरण और व्यक्ति भी उसके प्रभाव से विपदा झेल रहे हैं।

दुर्घटनासम्बन्धी

आग–जंगल, मुख्य भवन और औद्योगिक इलाकों, बाजारों में आग लगने से जान-माल की जबरदस्त हानि होती है। यह भी एक प्रकार की आपदा है।

बमविस्फोट विकास और विनाश के लिए किए गए बम विस्फोट में कभी प्रकृति तो कभी व्यक्ति को भारी नुकसान होता है।

सड़कदुर्घटना, रेल, नौका, वायु– लापरवाही, खराब मौसम के कारण हुई इस तरह की दुर्घटना होने पर कई लोगों की जान जाती है। इसको भी आपदा माना जाता है। राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में मूलतः सड़क किनारे स्थित घरों के सामने से तेज गति में वाहन गुजरते हैं। मोड़ पर तीव्र गति से वाहन के जाने पर वहां रह रहा परिवार इसे देख नहीं पाता जिससे अधिकतर दुर्घटनाएं होती है। इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं को भी उस क्षेत्र में आपदा के तौर पर लिया जाता है।

खानमेंबाढ़आनाएवंढहना– मूलतः ज्यादा खुदाई होने और खान के इलाके में तेज बारिश होने से उसमें या तो बाढ़ आ जाती है या खान ढह जाती है। इस आपदा के कारण भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं आमतौर पर राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि कच्ची सड़क को डामर कर पक्का करने के लिए गठ्ली की जरुरत पड़ती है। यह गिठ्ली सड़क किनारे से ही निकाली जाती है। इसलिए सड़क किनारे गहरा गड्ढा हो जाता है। बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाता है। जिसमें बच्चे नहाते हैं। यह भी दुर्घटना का कारण बनता है।

मुख्यभवनोंकाढहना– भूकंप, पानी की सीलन, तेज बारिश अथवा पुराने भवनों का लगातार प्रयोग करने से वह एक समय में ढह जाते हैं। जिसमें रह रहे लोगों की मृत्यु हो जाती है या फिर वह विकलांग हो जाते हैं। आमतौर पर रेगिस्तान के गांवों में तेज बारिश अथवा भूकंप से आंगनबाड़ी, स्कूल आदि गिर जाते हैं।

बिजलीकेकरंटकालगना–बिजली के तारों का पानी, बाढ़ ग्रस्त इलाकों अथवा ज्यादा जनसंख्या वाले इलाके में गिर जाने से भी बिजली का करंट कई लोगो की मृत्यु का कारण बन जाता है।

जंगलीजानवरोंके आक्रमणसे– फसलों और हम पर जंगली जानवरों के आक्रमण भी आपदा की श्रेणी में आते हैं। सांप काट्ना, बिच्छू का डंक मारना जैसे मामले एक तरह से आपदा बनकर ही सामने आते हैं। ऐसी आपदाओं की तीव्रता और प्रभाव धीरे-धीरे होता है।

जैविकआपदा

महामारी- रेगिस्तान में मलेरिया एक महामारी के रुप में माना जाता है। प्लेग, स्वाईन फ्लू जैसे रोग भी भारत में महामारी की तरह ही फैले हैं।

टिड्डीदलआक्रमण- भारतीय पाकिस्तान सीमा से आये टिड्डी दल के आक्रमण से फसल चौपट हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान में यह एक आपदा की तरह ही माना जाता हे।

जानवरोंकीमहामारी- पशुओं में खुर तथा मुँह के रोग भी महामारी की तरह फैलते हैं।

अन्यतरहकीआपदा

आतंकवादीगतिविधियां–आतंकवादी गतिविधियां उस क्षेत्र में एक आपदा की तरह बनकर आती हैं। 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला,

1993 का मुंबई बम विस्फोट, तथा समय-समय पर बड़ी आतंकवादी गतिविधियां, मुंबई जैसे महानगर में आपदा के रुप में सामने आई हैं।

उपद्रव–कई बार उग्र समूह द्वारा उपद्रव भी आपदा का रुप ले लेता है। सूखी फसल के काटने के बाद आग लगा देना, गांव में झोपड़ी के अंदर तेज आग जैसी घटना पूरे इलाके में आग को तेजी से फैलाती है। जो आपदा का कारण बनती है।

दंगे–जाति को लेकर साम्प्रदायिक दंगों में प्रशासन, शासन और आम आदमी सभी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। यह भी आपदा की श्रेणी में आता है।

त्यौहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़–उत्सव की भगदड़ में कई लोगों की जान जाती है। जिसका प्रभाव भीड़ के हट जाने के बाद सामने आता है।

विषाक्तभोजनकेसेवनसे– किसी समारोह, विद्यालय आदि में सामूहिक भोजन में विषाक्त वस्तु के मिलने से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। कईयों की मृत्यु भी हो जाती है।

आपदाओं की तीव्रता, प्रभाव एवं घटित होने के समय की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है।

धीमीगतिकीआपदाएँ–धीमी गति की आपदाओं में अकाल एवं सूखा जैसी आपदाएँ आती हैं, जिनका प्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है ऐसी आपदाओं के लिये राहत आदि पहुँचाने एवं तैयारी के लिये पर्याप्त समय मिल जाता हैं। भविष्य में अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को एक दीर्घकालीन योजनावद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

आकस्मिकआपदाएँ– भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्निकाण्ड, दुर्घटना आदि आकस्मिक आपदाओं की श्रेणी में आते है तथा इनसे बहुत कम समय में बहुत बड़ी तादाद में मानव, पशुधन तथा सम्पत्ति आदि का नुकसान जनता को झेलना पड़ता

है। इन आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिये वहाँ के निवासियों, विभिन्न प्रकार की जनसहयोगी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता होती है तथा अत्यन्त सीमित समय में बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों, बचाव एवं सुरक्षा दलों, परिवहन के साधनों तथा आश्रय स्थलों तथा तात्कालिक चिकित्सा सहायता आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस तरह की आकस्मिक आपदाओं के लिये आपदा से पूर्व निपटने की तैयारियां, आपदा के समय राहत व्यवस्था तथा भविष्य में आपदा से होने वाले खतरों के प्रभाव को कम करने के लिये प्रयास, धीमी गति की आपदाओं से भिन्न होते हैं।

राजस्थान में आपदा प्रभावित क्षेत्र

राजस्थान के निर्माण के बाद प्रदेश वर्ष 1959-60, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1990-1991 व 1994-95 को छोड़कर हर साल सूखा एवं अकाल प्रभावित रहा है। अरावली पर्वत श्रेणियों द्वारा दो पृथक भागों में विभाजित राज्य का उत्तर-पश्चिम भाग, जो राज्य का सत्तर प्रतिशत क्षेत्रफल है, में बहुत क्षीण, छितराई हुई एवं कम वर्षा होती है। प्रत्येक प्राकृतिक आपदा से मानव एवं प्राणी जगत के साथ भौतिक सम्पदाओं का भी नुकसान होता है। बुरी तरह से प्रभावित जनसंख्या भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, दवाई एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु बाह्य स्रोतों से सहायता की मोहताज हो जाती है। जनता के दुःख दर्द को दूर करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। राजस्थान में घरेलू उत्पादन का 42 प्रतिशत से 45 प्रतिशत भाग कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों की देन है, जिस पर 70 प्रतिशत जनसंख्या का जी निर्भर है। कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है। कुल जोत योग्य 2,06,59,787 हैक्टेअर भूमि में से केवल 66,75,835 हैक्टेअर भूमि ही सिंचित है। सूखे से फसल एवं सह-फसल गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होती है।

राजस्थान में बाढ़ से मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों में कोटा संभाग एवं जयपुर संभाग के भरतपुर और अलवर जिले मुख्य रूप से आते हैं, परन्तु पिछले कुछ वर्षो से पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलो में भी

बाढ़ आई है। भूकम्प से प्रभावित जिलों में अलवर, भरतपुर, जालौर, बाडमेर एवं जैसलमेर के कुछ भाग भूकम्प संभावित क्षेत्र में आते हैं। आँधी और तेज हवाएँ रेगिस्तानी जिलों में बहुतायत से आती है परन्तु ओलावृष्टि एवं पाला पड़ने की सम्भावना राज्य में कहीं भी हो सकती है। कई बार तो ओलावृष्टि तथा पाले से बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन एवं चारे की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है।

आपदा प्रबन्धन की पारम्परिक व्यवस्था

पूर्व में यह परिपाटी रही है कि आपदा घटित होने के बाद ही राहत कार्य किये जाते रहे हैं। परन्तु आपदा घटित होने से पूर्व आपदा के पूर्व प्रभाव एवं खतरों को कम करने के उपायों पर अब ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन.सी.सी. एफ.) से आपदा के समय में वित्तीय मदद प्राप्त होती है।

राज्य में सूखा, बाढ़, अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि आदि आपदायें घटित होने के बाद इससे प्रभावित लोगो को राहत प्रदान की जाती रही है। जैसे कि सूखे की स्थिति में रोजगार सृजन के कार्य, पेयजल प्रबन्धन, पशु संरक्षण एवं चारे की व्यवस्था तथा अनुग्रह सहायता जैसे उपाय जनता की मदद के लिये किये जाते हैं। इसी प्रकार से अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि एवं बाढ़ से हुऐ नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति प्रभावित लोगो को उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु उक्त आपदाओं के प्रभावों को कम करने एवं स्थायी रोकथाम के लिऐ वर्तमान में पुख्ता व्यवस्था का होना आवश्यक है, जिससे इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
पारम्परिक राहत व्यवस्था में खामियां :-

1. पारम्परिक राहत केवल अस्थायी व्यवस्था है जो आपदा से प्रभावित लोगों को तात्कालिक राहत के रूप में उपलब्ध करायी जाती है तथा आपदा खत्म होते ही समस्त कार्य बन्द कर दिये जाते हैं। आपदा खत्म होने के बाद भावी आपदा से कैसे निपटा जाये तथा उसके प्रभाव को कैसे कम

किया जाये या उसका स्थायी समाधान क्या हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

2. पारम्परिक रूप में सरकार का ध्यान केवल आपदा उपरान्त सहायता तक ही सीमित है। उसकी आपदा पूर्व तैयारी एवं उसके प्रभाव को भविष्य में कम करने के लिए योजना एवं नीति नहीं है।

3. वर्तमान व्यवस्था को लागू करने के लिये किसी प्रकार की कानूनी बाध्यतां उपलब्ध नहीं है, जिससे आपदा प्रबन्धन से निपटने वाले अधिकारियों को मौके पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः आपदा प्रबन्धन के सुचारू संचालन में कई बार पूर्ण जिम्मेदारी एवं कर्तव्य निर्वहन के अभाव की शिकायतें तथा विभिन्न विभागों के एक दूसरे पर दोषारोपण की स्थिति दर्शित होती है।

आपदा प्रबन्धन नीति की आवश्यकता

वर्तमान राहत व्यवस्था में उक्त खामियों को दूर करने के लिये आपदाओं के प्रबन्धन, प्रभावी नियन्त्रण एवं बचाव तथा इन आपदाओं के आने से पूर्व तैयारी तथा आपदाओं के होने वाले नुकसान को भविष्य में कम करने तथा उनके स्थायी समाधान हेतु आपदा प्रबन्धन नीति की आवश्यकता है। अतः यह नीति पूर्व व्यवस्था से हटकर है, जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया है:-

1. आपदा प्रबन्धन पूर्व तैयारी, उससे घटित होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिये उपाय तथा आपदा उपरान्त सहायता, पुनर्वास एवं मूलभूत अधो-संरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान के तीनों ही बिन्दुओं का इस नीति में समावेश किया गया है।

2. राज्य सरकार आपदाओं के प्रभावी नियन्त्रण के लिये आपदा प्रबन्धन कानून लागू करेगी, जिससे आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त कार्यों को एक कानूनी वैधता प्राप्त हो सकेगी, जिससे जिला प्रशासन आपदा के

समय प्रभावी व सुचारू रूप से अपने कार्यों को स्वतन्त्रता एवं बिना किसी अवरोध के सम्पादित कर सके।

3. भावी आपदा प्रबन्धन अस्थायी प्रतिक्रिया से योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की ओर कदम है।

4. **दीर्घकालीनयोजनाएँ:**– राज्य योजनाऐं/ विभागीय योजनाएँ, अकाल एवं अन्य आपदाओं के स्थाई समाधान के लक्ष्यों को लेकर बनायी जायेगी तथा उन कार्यों के लिये अन्य योजना कार्यों की तरह लगातार, जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, बजट प्रावधान रखे जायेंगे। खासतौर से सूखा निवारण के कार्य बड़े पैमाने पर लिया जाना प्रस्तावित है।

5. **आपदा प्रबन्धनयोजना :**– प्रत्येक जिला तथा जिले के सभी सम्बन्धित विभाग, ग्राम स्तर तक की आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनायेंगे तथा ग्राम स्तर तक डेटाबेस (यानि की संपूर्ण विवरण) तैयार कर आपदा से निपटने के सभी संसाधनों की सूची कम्प्यूटरीकृत करके वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूचना हर वर्ष, हर जिला कलेक्टर द्वारा अपडेट की जायेगी और आपदा प्रबन्धन के लिये यह सूचना एक प्रभावशाली तन्त्र का कार्य करेगी।

6. क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। राजस्थान राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान नोडल एजेन्सी होगी जो राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबन्धन की विभिन्न विधाओं के संदर्भ व्यक्ति तैयार करेगी तथा यह विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे तथा जिले के अधिकारी प्रत्येक गांव के लोगो में आपदाओं से निपटने के लिये क्षमता निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से गृह विभाग के अधीन पुलिस व नागरिक रक्षा विभाग में खोज एवं बचाव दल, तैयार किये जायेंगे।

7. समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये आपसी सहभागिता योजना लागू की जायेगी।

8. राज्य एवं जिला स्तर पर विशेषज्ञों का एक ढ़ाचा तैयार किया जायेगा। जो एक विस्तृत घटना कमान प्रणाली को विकसित करने में मदद करेगा।

9. **बहुआपदाप्रतिक्रियाव्यूहरचनाः–** बहु आपदाओ के प्रबन्धन करने के लिये इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह से केन्द्रीय रिजर्व बल की कम्पनियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निबटने से संबंधित प्रशिक्षण देकर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की हैं उसी आधार पर राज्य में भी आर.ए.सी. की कुछ कम्पनियों को इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाकर राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जा सकती है, जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य के किसी भी जिले में भेजी जा सकती है।

10. एक इस प्रकार का संचार नेटवर्क विकसित किया जायेगा जो आपदा प्रमाण एवं सूचना को तुरन्त जिले से राज्य एवं राज्य से जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर तक भेजने में सक्षम होगा। राज्य एवं जिलों में कम्प्यूटरीकृत नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क एवं राष्ट्रीय आपदा संसाधन नेटवर्क, तैयार किया जायेगा।

11. प्रत्येक आपदा के प्रभावी नियन्त्रण हेतु पृथक-पृथक कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक आपदा से निपटने के लिये पूर्व तैयारियों, आपदा से पूर्व तथा आपदा के पश्चात् दी जाने वाली सहायता एवं कार्यवाहियों के लिये प्रत्येक आपदा विशेष के प्रबन्धन हेतु योजना एवं दिशा निर्देश भी इस नीति में समायोजित किये जायेंगे।

12. अकाल, बाढ़, भूकम्प व अन्य आपदाओं के संबंध में नियमावली तैयार की जायेगी। यह नियमावली सामान्य भाषा के साथ-साथ प्रक्रिया की दृष्टि से पारदर्शी तथा सरल प्रक्रिया पर आधारित होगी, जिससे आम जनता को ज्यादा राहत त्वरित गति से उपलब्ध करायी जा सके।

आपदाओं की रोकथाम की प्रशासनिक व्यवस्था

1. राज्य स्तर पर आपदाओं से निपटने की पूर्व तैयारियों, रोकथाम तथा प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा एवं आपदा की स्थिति से निपटने के लिये त्वरित निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित होगा जिसकी सामान्य समय में प्रत्येक 6 माह में एक बार समीक्षा की जायेगी। इस प्राधिकरण में गृह मन्त्री, वित्त मन्त्री, आपदा प्रबन्धन मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री, कृषि मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मन्त्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री, सिंचाई मन्त्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं उपयुक्त विभागों के प्रमुख/शासन सचिव सदस्य तथा प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता सचिव इसके सदस्य होंगे। यह समिति आपदा प्रबन्धन की मंत्रीमण्डलीय समिति के नाम से जानी जायेगी। किसी भी निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट आपदा के घटित होने या उसकी संभावना होने पर यह समिति परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकता अनुसार बैठक करेगी एवं किसी भी प्रकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होगी। इस कमेटी में लिये गये निर्णय अन्तिम होंगे एवं निर्णयों की पालना सभी विभाग समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रशासनिक अधिकारी स्तर पर इसी तरह की एक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जायेगी, जिसमें आपदा व अन्य सम्बन्धित सभी विभाग जैसा कि ऊपर दिया गया है, में बताये गए विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य रहेंगे। यह समिति भी बैठक आयोजित करेगी तथा इसमें सभी प्रकार की आपदाओं की पूर्व तैयारियों, आपदा उपरान्त राहत तथा भविष्य में आपदाओं से होने वाले खतरों को कम करने की विभिन्न विभागों की दीर्घकालीन योजनाओं का विश्लेषण करेगी।

3. आपदाओं को रोकने एवं प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों एवं जनता में से विभिन्न कौशल वाले व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होगी। अतः इसके लिए विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं, शासकीय संस्थाओं, निजी संस्थाओं एवं केन्द्र तथा राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों की एक सूची बनाई जायेगी तथा उसमें उनके स्थायी पते एवं टेलीफोन नम्बर आदि भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्र बुलाया जा सके। उक्त सूचनाओं एवं संसाधनो का आपदाओं को कम करने, रोकने एवं प्रबंधन की व्यवस्था एवं योजना बनाने में उपयोग किया जायेगा।

4. संभाग एवं जिला स्तर पर क्रमशः सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उपरोक्तानुसार समितियों पर सम्भाग एवं जिला स्तर के आपदा रोकथाम एवं प्रबंधन की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी रहेगी, जिनमें प्रत्येक प्रकार की सम्भावित आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबन्धन के उपाय किये जावेंगे। मूलतः कार्य योजनाएं प्रत्येक जिले के लिए तैयार की जायेंगी जिनमें संभाग स्तर से जिस प्रकार के सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता होगी उसका उल्लेख रहेगा। इसके अतिरिक्त उन बिन्दुओं का उल्लेख रहेगा जिनके अंतर्गत अन्तर्जिला समन्वय एवं कार्यवाही की आवश्यकता होगी। संभागीय आयुक्तों को जिलों में विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य जन उपयोगी संस्थाओं को भी इन कमेटियों में रखने का अधिकार होगा तथा आपदाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जानकारियों, सूचनाओं आदि को जन जागृति द्वारा आम जनता तक पहुँचाने में इन संस्थाओं का भरपूर सहयोग लिया जायेगा।

5. सभी आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, समन्वयक विभाग रहेगा। सहायता विभाग प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग होगा। औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाओं के लिए श्रम विभाग महामारियों के लिए चिकित्सा

एवं स्वास्थ्य विभाग तथा मानव जनित आपदाओं/दुर्घटनाओं के लिए गृह विभाग तथा बाढ़ के लिए सिंचाई विभाग नोडल विभाग होगा।

6. आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिये जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिये जायेंगे। आपदा के समय कलेक्टर को सभी प्रकार के संसाधन, मानव, मशीन एवं किसी भी प्रकार के वाहन तथा विभिन्न दक्षताओं युक्त निजी व्यक्तियों जैसे गोताखोर आदि को अधिकृत करने के अधिकार होंगे। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी जमीन, भवन, फैक्ट्री, आदि की तलाशी एवं प्रतिबंधित एवं अधिग्रहण के अधिकार होंगे। इसके लिये आवश्यकतानुसार आपदा प्रबन्धन कानून या प्रशासनिक आदेश के द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग, जिला कलेक्टरों को अधिकृत करने की व्यवस्था करेगा।

7. आपदाओं का प्रभाव एक से अधिक जिलों में संभावित होने के कारण संभाग स्तर पर आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए संभागीय आयुक्त नोडल एजेन्सी का कार्य करेंगे। संभाग स्तर पर कार्यरत राज्य शासन के विभागों के सभी अधिकारी जिसमें पुलिस, होमगार्ड एवं वन के अधिकारी सम्मिलित हैं। संभागीय आयुक्त संभागीय स्तर के सभी शासकीय कार्यालयों एवं एजेन्सियों के बीच समन्वयन करेंगे। संभाग स्तर पर समिति में रेंज के डी.आई.जी. को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा, क्योकि बचाव व राहत से संबंधित अधिकांश कार्य पुलिस विभाग से संबंधित रहते हैं। सुरक्षा सेना, अर्द्धसुरक्षा बल, रेलवे, टेलीकॉम एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को भी संभाग स्तर पर समिति का सदस्य मनोनीत किया जायेगा। सम्भागीय आयुक्त राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर आपदाओं से निपटने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर सकेंगे।

8. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर सभी प्रकार की आपदाओं की रोकथाम एवं

प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी होगा। जिले में राज्य के समस्त विभागों के जिला अधिकारी, पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग इत्यादि अपने अधीनस्थ अमले सहित आपदा से निपटने हेतु जिला कलेक्टर के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे। जिला स्तरीय अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थायें जो आपदाओं से संबंधित कार्यो में मददगार हो सकती हैं, उनके आपस के एवं शासकीय विभागों के बीच समन्वयन भी जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जावेगा, क्योंकि बचाव व राहत से सम्बन्धित अधिकांश कार्य पुलिस से संबंधित रहते हैं। सुरक्षा सेना, अर्द्धसुरक्षा बल, रेलवे, टेलीकॉम एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों को भी जिला स्तर पर समिति का सदस्य मनोनीत किया जावेगा। जिला कलेक्टर राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर आपदाओं से निपटने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर सकेंगे।

9. जिला स्तरीय कार्ययोजना के दो भाग होंगे। प्रथम भाग में आपदा के पूर्व तैयारी, रोकथाम के उपायों का समावेश होगा। दूसरे भाग में आपदा के घटित होने के बाद, आपदा से निपटने के उपाय, आपदा पश्चात् दी जाने वाली सहायता, उपचार एवं पुनर्स्थापना की योजना रहेगी। जिला योजना में सामुदायिक जागरूकता पैदा करने एवं सम्भावित विभिन्न आपदाओं के क्षेत्रों में उनसे निपटने के लिये वहां के निवासियों की क्षमता के निर्माण तथा उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी विषय सम्मिलित होंगे।

10. जिलास्तरीय कार्य योजना पर जिला योजना समिति के द्वारा विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के पश्चात् राज्य शासन से सहमति प्राप्त की जायेगी। संभागीय योजना संभाग आयुक्त द्वारा बनाई जायेगी, जिस पर राज्य शासन की सहमति प्राप्त की जायेगी।

11. कार्ययोजना में सामाजिक, अशासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों तथा

महिला संगठनों की सक्रिय भूमिका एवं सहयोग का उल्लेख होगा। कार्ययोजना का जिले में सघन प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजना के संबंध में प्राप्त सुझावों का विचार-विमर्श के उपरान्त आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना में समावेश किया जावेगा।

12. प्रभावित क्षेत्रों में समय पर आपदा की चेतावनी देने की सुव्यवस्थित व्यवस्था न होने के कारण पूर्व तैयारियों के बावजूद भी धन व जन हानि को रोकना संभव नहीं हो पाता है। अतः जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना में आधुनिक संचार माध्यमों सहित समस्त मीडिया की भूमिका एवं जिन विषयों में उनके विशिष्ट सहयोग की आवश्यकता होगी, उसका उल्लेख किया जायेगा। यह कार्यवाही जिला कलेक्टरों द्वारा की जावेगी।

13. विभिन्न प्रकार की आपदाओं में यह पाया गया है कि महिला एवं बच्चे आपदाओं से सबसे अधिक पीड़ित होते है। अतः जिला योजना में महिलाओं और बच्चों पर आपदाओं से होने वाले संकटों को कम करने एवं बचाव की कार्यवाहियों का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा उन्हें शीघ्र राहत प्रदान करने के विशिष्ट उपायों का समावेश किया जायेगा। खासतौर से विभिन्न आपदाओं से प्रभावित लोगो को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना चाहिये, इसके बारे में जागरूकता हर परिवार के सदस्यों को होनी चाहिये।

14. विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का पशुओं पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन व पर्यावरण के लिए वे महत्वपूर्ण है। जिला कार्ययोजना में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं को राहत प्रदान करने के लिए किये जाने वाले विशिष्ट उपायों का भी समावेश किया जायेगा।

15. राज्य को प्रभावित करने वाली आपदाओं की रोकथाम व प्रबंधन की पूर्व

तैयारियो से आपदा के प्रभाव को कम करने की कार्यवाहियों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। सभी संबंधित विभागों की वार्षिक योजना में इन कार्यवाहियों का समावेश किया जावेगा और वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इसे प्राथमिकता दी जायेगी तथा इनका समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। जिन योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक समय की आवश्यकता होती है, उन्हें पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा। आपदाओं की रोकथाम की पूर्व तैयारियों एवं प्रबंधन की अन्तर्विभागीय योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान एवं प्राथमिकता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

16. आपदा से सम्बन्धित नोडल एजेन्सी, सरकारी विभाग, स्वायत्त शासी संस्थाएँ, गैर सरकारी संगठन, रिसर्च एजेन्सी, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विभिन्न सामुदायिक समूह तथा अन्य स्टेक होल्डर्स आपदा से सम्बन्धित जानकारियों, प्रचार एवं प्रसार, समन्वयन तन्त्र तथा सभी स्टेक होल्डर्स क्षमता निर्माण के लिंक स्थापित किये जायेगें और इस प्रकार का तन्त्र विकसित किया जायेगा जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का लगातार फीड बेक सिस्टम संधारित किया जा सकेगा, जो प्रभावी रूप से सहायता, पुनर्वास, प्रयास एवं क्षमता निर्माण विकसित कर सकेगें।

आपदा प्रबन्धन के तीन चरण

विभिन्न प्रकार की आपदाओं के रोकथाम, नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अलग-अलग प्रकार के उपायों की विभिन्न चरणों में आवश्यकता होती है, अतः इन तीनों चरणों में आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिये राज्य व जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्यो को उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। अतः किसी भी प्रकार के आपदा प्रबन्धन के लिए निम्न तीन चरण होते हैः-

अ) प्रथम चरण - आपदा से पूर्व तैयारी की अवस्था

ब) द्वितीय चरण - आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था

स) तृतीय चरण - आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना की अवस्था

प्रथम चरण – आपदा से पूर्व तैयारी की अवस्था

आपदा के घटित होने से पूर्व के प्रथम चरण में आपदा की रोकथाम, भावी आपदा के प्रभाव एवं खतरों में कमी के प्रयास तथा आपदा से पूर्व तैयारियां सम्मिलित है। इस चरण में आपदा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के आंकड़ो का संग्रहण, आपदा के समय काम आने वाले उपलब्ध संसाधनों की सूची, विभिन्न आपदाओं से निपटने की कार्य योजनाओं का निर्माण, जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, आपदा के कारणों एवं आपदा से निपटने के उपायों के बारे में जन जागृति लाना तथा विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित नोडल विभागों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये एक्सन प्लान के माध्यम से निपटने की पूर्व तैयारी जैसे महत्त्वपूर्ण बिन्दू आते हैं।

जिला स्तर, विभागीय स्तर तथा राज्य स्तर पर आपदा से पूर्व तैयारी में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जायेगाः-

1. *भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क:–* केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार भारतीय आपदा संसाधन नेटवक के तहत प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम की स्थापना तथा जिला कलेक्टर के पास कम्प्युटर में बेवसाईट पर विभिन्न तरह की आपदाओं में राहत व बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए शासन व शासकीय संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों के पास उपलब्ध सामग्री व मानव संसाधन तथा विभिन्न प्रकार के मशीन एवं उपकरणों तथा यातायात के विभिन्न साधनों की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी प्रत्येक जिले के लिए तैयार की जायेगी। मानव संसाधन की सूची में उपलब्ध व्यक्तियों की जिस विषय में विशेष दक्षता होगी, उसका स्पष्ट उल्लेख होगा, जिससे आपदा की स्थिति में उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सके। उपलब्ध सामग्री की सूची में उनकी उपयोगिता संबंधी जानकारी तथा उनका पूरा पता मय टेलीफोन नम्बरों के भी उपलब्ध होगा ताकि इसका आवश्यकता के समय तत्काल उपयोग किया जा सके या उन्हें तुरन्त बुलाया जा सके।

विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जिस सामग्री व व्यक्तियों की आवश्यकता है और जो जिलों में शासकीय, अशासकीय व निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उसकी जानकारी तैयार की जावेगी जिससे आपदाओं की स्थिति में जिन जिलों में एवं राज्य के बाहर जहाँ भी वे संसाधन उपलब्ध होगें, उन्हे तुरन्त वहां से बिना किसी विलम्ब से मंगाया जा सकेगा।

सामग्री, मानव संसाधन, मशीनों एवं यन्त्रों और उपकरणों के सम्बन्ध में एकत्र की गई जानकारी का हर छः माह में उनकी उपलब्धता, उनके धारक का पता एवं टेलीफोन एवं उनकी चालू स्थिति के बारे में पुनरावलोकन किया जावेगा और उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित एवं आदिनांक किया जावेगा। यह सारी जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की होगी परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जिले के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देकर उन्हे पाबन्द करेंगे कि वे आवश्यक सूचना जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराये तथा उसमें नियमित रूप से हर छः माह में संशोधन की कार्यवाही करावे।

2. संचार तकनीकी नेटवर्क की स्थापना– आपदा के समय संचार व्यवस्था का तंत्र छिन्न–भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु आवश्यक तैयारी करने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे उसका उपयोग आपदा के समय प्रचलित संचार व्यवस्था में अवरोध होने पर किया जा सके। प्रयत्न किया जायेगा कि प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसा संचार तंत्र विकसित किया जावे जो आपदा से प्रभावित न हो। संचार व्यवस्था असंचालित होने की स्थिति में उसे अतिशीघ्र पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था की जावेगी। अतः राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कम्प्यूटराईज्ड कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे।

3. नियोजित विकास:– विकास का आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान है। दीर्घकालीन आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास के माध्यम से सभी विभागों को आपदाओं की रोकथाम एवं आपदाओं के भविष्य में प्रभाव एवं खतरों को कम करने के सभी महत्त्वपूर्ण पहलूओं को सतत विकास प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावे। उदाहरण के लिए सभी जिला अस्पतालों का आपातकालीन ऑपरेशन थियेटरों से सुसज्जित होना, उनमें 24 घण्टे विद्युत की व्यवस्था होना, सभी जिला मुख्यालयों एवं बड़े कस्बो में अग्निशमन यंत्रों, एम्बुलेन्सों की व्यवस्था, भविष्य में बनने वाले स्कूल भवनो, अन्य सरकारी एवं सामुदायिक भवनों का ऊँचे क्षेत्रो में निर्माण जो भविष्य में आपदा के समय अच्छे आश्रय स्थलों के रूप में काम आ सकें। इसके अतिरिक्त विकसित संचार एवं यातायात के विशाल ढांचागत विकास का किसी भी आपदा के नियन्त्रण में महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार अकाल से निपटने के लिए स्थायी व्यवस्था खासतौर से चारे के बैंको की स्थापना, चारे के लिए स्थायी चारागाह विकास कार्यक्रम, जल संसाधनों का समुचित विकास एवं समन्वित उपयोग तथा पानी की बचत हेतु जल संरक्षण कार्यों के साथ–साथ वर्षा जल पुनर्भरण कार्यक्रमों आदि को भी योजनाबद्ध विकास के माध्यम से किये जाने पर अकाल के प्रभाव को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है।

4. कानून, नियम, उपनियम तथा दिशा–निर्देशों का निर्माण:– सफल

आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटने के लिये स्पष्ट नीतियां, दिशा निर्देश एवं नियम हों तथा उनकी सरकारी विभागों, संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित हो। इसके मुख्य बिन्दु हैंः-

4.1 भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भवनो के निर्माण की संरचना तथा डिजाइन के लिए भूकम्परोधी तकनीकी के उपयोग से भवन निर्माण के स्पष्ट नियम/उपनियम तथा भवनों के पुनः संयोजन के विभिन्न दिशा- निर्देश

4.2 भूकम्प एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के प्रयोग एवं नियोजन के स्पष्ट नियम एवं प्रावधान

4.3 फसल चक्र के स्पष्ट प्रावधान, दिशा निर्देश एवं पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी

4.4 महामारी फैलने की स्थिति में क्या कार्ययोजना होगी, स्पष्ट दिशा निर्देश एवं विभागो की पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी

4.5 बाढ़, आंधी, तूफान की स्थिति में तात्कालिक राहत के स्पष्ट निर्देश

4.6 आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कानूनों एवं नियमों का निर्माण

4.7 पूर्व निर्मित कानूनों, नियमों, उपनियमों एवं पुरानी नियमावली तथा अन्य विभागीय नियमावली एवं विभिन्न दिशा निर्देशों में संशोधन

4.8 बड़े शहरों में बहुमंजिले भवनो में आग से बचाव के समस्त उपायों को भवन निर्माण कानून में जोड़ने बाबत नियमों में संशोधन

5. *आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण*– सभी आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में आपदा प्रबन्धन की कार्य योजनाएँ बनाई जायेंगी तथा सभी सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित आपदा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य स्तर की आपदा प्रबन्धन योजना बनायेंगे तथा समय-समय पर उन्हें आदिनांक करने के साथ उसका हर साल पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) करेंगे।

6. *आपदा पूर्व चेतावनी का विकसित ढाँचाः*– आपदा पूर्व चेतावनी यदि उचित समय पर दी जा सके तो आपदा के दुष्प्रभाव एवं खतरों को काफी सीमा तक

कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं विभिन्न आपदा से संबधित नोडल विभाग आपदा पूर्व चेतावनी की सुनिश्चित व्यवस्था करेगें।

7. आपदाप्रबन्धनकीलोचपूर्णप्रक्रियाः–कानूनी पेचीदगियों की वजह से कई बार आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः आपदा के समय, विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय, पुनर्वास तथा विभिन्न प्रकार के संसाधनो की उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिये जिला प्रशासन को आपदा एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट होनी चाहिये। अतः इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है।

8. क्षमतानिर्माण– किसी भी आपदा के प्रभावी नियन्त्रण के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं एवं आपदा से प्रभावित जन समुदाय के क्षमता निर्माण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण के मुख्य बिन्दु हैं :-

8.1 आपदा से सम्बन्धित खतरों के बारे में जनता को पूर्ण जानकारी।

8.2 आपदा से निपटने हेतु उचित तात्कालिक उपायों का जनता को ज्ञान ।

8.3 आपदा से निपटने के लिये विशेष ज्ञान के समवर्गों की स्थापना तथा प्रशिक्षण एवं रिसर्च की उपलब्धता।

8.4 आपातकालीन आपदा के प्रतिक्रिया तंत्र की स्थापना, जिससे आपदा के विशिष्टीकृत ढ़ांचे को तुरन्त पद स्थापित किया जा सके।

8.5 आपदाओं से सम्बन्धित ज्ञान एवं उनसे निपटने के लिये उपायों का माध्यमिक स्तर एवं उच्च कक्षाओं की स्कूलों के पाठ्यक्रम में लागू करना।

8.6 विभिन्न आपदाओं की आवश्यकतानुसार भवन संरचनाओं एवं मोडलों तथा भवनों के पुनः संयोजन का ज्ञान सभी लोगो को प्रदान करना तथा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में उन्हें लागू करना।

8.7 आपदा के समय काम आने वाले उपकरणों की आमजन को जानकारी।

8.8 विभिन्न आपदाओं में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार व्यवस्था के बारे में संभावित आपदाओं के क्षेत्रों के लोगो को ज्ञान उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक गांव एवं मोहल्ले में प्राथमिक उपचार व्यवस्था की टीमें गठित करना।

8.9 ग्राम स्वयंसेवी गठित टीमों द्वारा आपदा के समय लोगों को किस प्रकार आश्रय स्थलों पर पहुँचाया जावे तथा पीड़ित व्यक्ति को कहाँ और किस अस्पताल में पहुँचाया जावे, इन सबकी पूर्ण जानकारी।

8.10 आपदा के तुरन्त बाद प्रशासन के बजाय आपदा से पीड़ित पक्ष को उसके पड़ौसी या उसके गांव एवं कॉलोनी के लोगों द्वारा मदद सबसे पहले उपलब्ध करायी जाती है। अतः संभावित आपदा के क्षेत्रों में सर्तकता समितियाँ और स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण।

9. प्रशिक्षण– विभिन्न आपदाओं के नोडल विभाग क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगें। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम नोडल ऐजेन्सी राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान होगी।

9.1 ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से जुड़े रहने की आवश्यकता है, उनकी सूची बनाई जावेगी और उन्हें बचाव व राहत के कार्य तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा बनाया जायेगा और इसका अनुमोदन प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जावेगा।

9.2 इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों को उनके कार्य से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आपदा के समय वे बिना किसी पर्यवेक्षण के अपने कार्य को कर सकें।

9.3 उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक व प्रबंधकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।

9.4 राज्य सरकार अपने स्तर पर आपदा अनुसार विशिष्टियों वाले व्यक्तियों के अलग-अलग दल बनायेगी जो सभी तरह की आपदाओं में बचाव व राहत के कार्य में पूर्णतः प्रशिक्षित होंगे। किसी भी आपदा की स्थिति में

यह दल आपदा प्रभावित जिले के आपदा के प्रभारी अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क करेगा। ये व्यक्ति विभिन्न संबंधित विभागों जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, श्रम, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि से लिये जावेंगे। इन्हें प्रशिक्षण हेतु एवं आपदा के समय कार्य संभालने के लिए राज्य के आपदा प्रबंधन एवं सहायता आयुक्त के आदेश से लगाया जा सकेगा। सभी विभाग इन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु तथा आपदा के समय तुरन्त भेजने के लिए बाध्य होंगे। राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान इन सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षित करेगा।

9.5 जिला स्तर पर भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कोर ग्रुप गठित किये जायेंगे।

9.6 राज्य स्तर पर गृह विभाग द्वारा इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सुरक्षा बल की कम्पनियों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देकर विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबन्धन हेतु पूरे देश के लिये आपदा प्रबन्धन रिजर्व बल तैयार किया है। क्या राज्य स्तर पर भी इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाकर आर.ए.सी. की कम्पनियों को आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था के लिये तैयार किया जा सकता है ?

10. स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय देखरेख- किसी भी आपदा में पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुँचाने में चिकित्सीय देखरेख का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। अतः चिकित्सा व्यवस्था की क्षमता भली प्रकार से होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने में सक्षम हों। ऑपरेशन कक्ष का सुसज्जित एवं पर्याप्त मात्रा में होना, उनमें 24 घण्टे विद्युत व्यवस्था राज्य एवं जिला स्तर पर विकसित हो एवं पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेन्सों एवं मोबाइल टीमों की उपलब्धता होनी चाहिये। किसी भी स्थिति में प्रशिक्षित स्टाफ को आवश्यकतानुसार तुरन्त भेजा जा सके, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिये।

द्वितीय चरण

आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्थ

इस चरण में राज्य प्रशासन के आपदा के विरूद्ध शीघ्रता से निपटने की सक्षमता का विकास, आपदा से पूर्व विभिन्न प्रकार के आपदा समूहो एवं संस्थाओं को दिये गये विशिष्ट प्रकार की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में प्रदत्त सक्षमताओं के विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के साथ उस प्रशिक्षित स्टाफ को आपदा स्थल पर तुरन्त नियुक्ति उचित सूचना का प्रवाह तथा त्वरित निर्णय की क्षमता का भी महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

आपदा से निपटने के लिये समस्त जिम्मेदारी अकेले जिला कलेक्टर की ही न होकर सभी विभागों एवं वहाँ की स्थानीय संस्थाओं की भी होती है। राज्य सरकार वह सभी सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करायेगी जो आपदा से निपटने के लिए आवश्यक होगी।

द्वितीय चरण के समयमहत्त्वपूर्णकार्य बिन्दूः– आपदा से निपटने की कार्यवाही, इसकी पूर्व तैयारी सर्तकता व इच्छा-शक्ति पर निर्भर करती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गयी तुरन्त कार्यवाही जितनी तेजी एवं कुशलता से की जायेगी उतनी जल्दी जन एवं धन सम्पत्ति के नुकसान को बचाने में कामयाबी हासिल होगी। इस चरण में मुख्य कार्य बिन्दु होंगेः-

1. संचारव्यवस्थाएवं कन्ट्रोलरूम की स्थापना– आपदा के तुरन्त बाद जिला स्तर पर केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जो टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ई-मेल सुविधा एवं अन्य आधुनिक संचार के साधनों से युक्त होगा। इस आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी जिला स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा तथा यह नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर आपदा से संबंधित की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा। यहां आपदा संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जावेगी तथा नियंत्रण व रोकथाम की कार्यवाहियों के लिए निर्देश जारी किये जावेंगे। यहां से सूचना माध्यमों द्वारा आम जनता के लिए आवश्यक सूचनाएं

सामान्य रूप से जारी की जायेगी तथा जानकारी मांगी जाने पर उपलब्ध भी कराई जायेगी। आपदा की स्थिति में आपदा स्थल के पास भी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित किये जायेंगे, जहाँ से बचाव कार्य एवं राहत कार्यो का समन्वय किया जावेगा। जिला स्तर पर राहत कार्यो से संबद्ध विभागीय कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे, जिससे वे विभागीय कार्यवाही को निर्देशित कर सके।

जैसे ही किसी आपदा की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है, वैसे ही आम जनता तथा प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को सभी आधुनिक सूचना माध्यमों से बगैर किसी विलम्ब के सूचित किया जावेगा। आपदा की प्रकृति को देखते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी सम्पत्ति की रक्षा के पूर्ण प्रयत्न किये जायेंगे। विशेष रूप से बनाये गए कार्यदलों के द्वारा बचाव कार्य बिना किसी विलम्ब के किये जायेंगे। जहां तक संभव होगा आपदा प्रभावित क्षेत्र के समीप ही राहत उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सहायता में अनावश्यक विलम्ब न हो।

2. खोज एवं बचाव दलः– आपदा से प्रभावित क्षेत्र में खोज एवं बचाव दल जितनी त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचेगी उतना ही जल्दी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाया जा सकेगा। आपदा से प्रभावित एवं आपदा में फँसे हुऐ लोगों को त्वरित गति से बाहर निकालना, उन्हे चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल भेजा जावे उन्हे सुरक्षित स्थानों पर बसाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एवं जिले में स्थित सभी विभागों की होगी तथा हर सम्भव मदद खोज एवं बचाव दल को उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य स्तर पर स्थापित खोज एवं बचाव दलों को जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

3. आवश्यक सेवाओं की बहालीः– आपदा की स्थिति में बिजली, पानी, संचार के साधन, सड़क, पुल आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अतः इन समस्त प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के ढांचागत निर्माण की पुनः बहाली सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी जिससे आपदा से मुकाबला करने में तात्कालिक राहत पहुंचाने में

कोई व्यवधान उस समय नही हो तथा यदि किसी भी प्रकार की अन्य खतरनाक परिस्थितियां बन गयी हों तो उनका भी शीघ्र निवारण किया जा सके। सभी विभागों, स्थानीय सस्थाओं एवं जनता के पूर्ण सहयोग के साथ जिला प्रशासन समस्त ढांचागत विकास की बहाली की कार्यवाही की जायेगी।

4. आपदापीड़ितलोगोंकोआश्रयस्थलोंपरभोजन,स्वास्थ्यएवंसफाई कीव्यवस्था– आपदा के समय, खाद्य आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अधिकांश लोगो के मकान ध्वस्त हो जाते हैं या बाढ़, भूकम्प एवं अग्निकाण्ड की स्थिति में उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होता है। इन कैम्पों में खाने-पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

5. आपदाकेबादराहतआकंलन– सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के माध्यम से आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान, ध्वस्त मकान एवं मनुष्य एवं पशुओं के हुऐ नुकसान का तुरन्त सर्वे किया जायेगा, जिससे पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुँचाई जा सके।

जन तथा सम्पदा की हानि के आंकलन के लिए जिला कलेक्टर एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था रखेंगे जो आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त कार्यवाही करे। आपदा के कारण जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेंगे। संभागीय आयुक्त एवं राज्य सहायता आयुक्त को राहत व बचाव कार्य की प्रगति, आंकलित जन व सम्पत्ति की हानि तथा बचाव एवं राहत कार्यो में लगने वाली सामग्री व जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी निरंतर दी जावेगी।

6. राहतपीड़ितोंकेलियेराहतपैकेज– आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के हुए नुकसान के मुआवजे हेतु उन्हे नकद धनराशि या वस्तुओं के रूप में सरकार एवं दानदाताओं के द्वारा मदद प्रदान की जाती हैं। उसकी एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिये। राहत सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिये, उसमें

किसी भी प्रकार जाति, धर्म, समुदाय, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

7. आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था– आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल एवं आश्रय स्थलों तक परिवहन करने की तुरन्त आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था परिवहन विभाग के देखरेख में निजी व्यक्तियों एवं राज्य परिवहन की बसों से उपलब्ध कराई जायेगी। कई बार सरकारी बसें एवं ट्रक बिना किराये के उपलब्ध नहीं होते है, अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार कलेक्टर के पास परिवहन के साधन किराये पर लेने के लिए विशेष कोष की व्यवस्था करायेगी। यह कोष राज्य सरकार, दानदाताओं एवं निजी ओपरेटरों से एक शुल्क लगाकर बनाया जा सकता है।

8. क्रेन, बुलडोजर एवं आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण– कई बार भूकम्प एवं मकानो के ढ़हने एवं कुओं के ढ़हने की स्थिति में काफी लोग दब जाते हैं, उन्हें तुरन्त निकालने के लिए क्रेन, बुलडोजर एवं अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये कलेक्टर को इन मशीनों को जुटाने एवं अधिग्रहण के समस्त अधिकार होंगे। फंसे हुए आदमियों को निकालने का जो भी खर्चा होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी तथा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की टेण्डर प्रक्रिया या अन्य किसी भी प्रकार के नियमों की छूट जिला कलेक्टर को होगी।

तृतीय चरण

आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना की अवस्था

आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति स्थापित करने के समस्त प्रयास यथाशीघ्र किये जायेंगें। मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित एवं स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में यथासंभव सहायता दी जायेगी। आपदा से मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों जिनकी सम्पत्ति एवं निकटस्थ संबंधियों की जीवन हानि हुई है, उन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। नगरीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विद्यमान अधिनियमों में संशोधन करते हुए स्थानीय स्तर पर आपदाओं के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए स्थानीय निकायों की भूमिका निर्धारित करेंगे। तृतीय चरण के मुख्य कार्य बिन्दु इस प्रकार हैं।

1. विस्तृत क्षतिका आंकलन– आपदा के समय प्रारम्भिक हानि के फोरीतौर के आंकलन के बाद इस चरण में संभावित हानि का विस्तृत आकलन किया जायेगा। जिससे सामान्य स्थिति की बहाली के शीघ्र परिणाम सुनिश्चित हो तथा आपदा के दीर्घकालीन प्रभावों को कम किया जा सके। सरकार की आपदा प्रबंधन की मूलभूत नीति आपदा के सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों को समाप्त कर एक स्थायी सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं में सुधार का होगा।

2. प्रभावित लोगों को पुनर्स्थापन– यदि राज्य सरकार यह उचित समझती है कि प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हे मूल आबादी से स्थानान्तरित कर दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में उन्हे बसाने हेतु सरकारी उपलब्ध जमीन का आवंटन एवं यदि जमीन उपलब्ध न हो तो भूमि अधिग्रहण करके उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए एक व्यावहारिक पुनर्स्थापना

पैकेज बनाया जा सकता है। सरकार विद्युत, पेयजल की सुविधा तथा उस बस्ती में रोजगार के साधनों की उपलब्धता एवं बच्चो के लिये स्कूल आदि की व्यवस्था कर सकती है।

3. पुनर्स्थापना एवं पुनर्संरचना योजनाओं की स्वीकृति– दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा उचित योजनाओं की पहचान की जाती है। स्वीकृति के लिये विस्तृत आकलन बनाया जाता है तथा उसकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिससे कि इन दीर्घकालीन योजनाओं को अति शीघ्र सम्पन्न कराया जा सके।

4. धन का आवंटन एवं ऑडिटः– विभिन्न माध्यमों से वित्त व्यवस्था के बाद विभिन्न मदों के लिए धन के आवंटन एवं बजट का नियन्त्रण एवं ऑडिट आवश्यकता इस चरण में होती है, जिससे कि धन का किसी प्रकार से दुरूपयोग नही हो सके।

5. पुनियोजन प्रबन्धन– पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं की सतत समीक्षा एवं मोनिटरिंग की आवश्यकता है। इसके मुख्य निम्न कार्य हैः–

5.1 भवनों का आपदा रहित एवं पुनः संयोजन

5.2 पुनः संयोजन की संरचनाओं एवं नमूनो का निर्माण

5.3 आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल, बांध, नहर आदि के लिए पुनः संयोजन की संरचना के प्रस्ताव

5.4 आधारभूत ढांचा निर्माण सुविधाएँ जैसे सड़क, पावर स्टेशन, एयर पोर्ट, बस अड्डा, रेलवे लाईन आदि योजनाओं का नियंत्रण

5.5 स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, प्राथमिक उपचार केन्द्र, अस्पताल, डाक्टरों एवं सर्जनों की आवश्यकता

5.6 ध्वस्त औद्योगिक ईकाईयों की पुनर्स्थापना

5.7 आजीविका की पुनर्स्थापना

5.8 आपदाओं से पीड़ितों को मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों को सलाह

इन तीनों चरणों में आपदा के प्रभावी प्रबन्धन में राज्य सरकार एवं उसके विभिन्न विभाग, जिला प्रशासन, स्वायत्त शासी संस्थाएँ एवं स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इन विभिन्न आपदाओं की रोकथाम एवं नियन्त्रण में राज्य सरकार, विभिन्न विभागों, स्वायत्त शासी संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संगठनों का निम्न प्रकार से आपदा अनुसार कार्य कलाप एवं उत्तरदायित्व होगाः-

1. सूखा सूखा प्रबन्धन के लिये राज्य सरकार सूखे से पूर्व निपटने की समस्त तैयारी तथा अकाल घोषित होने के बाद रोजगार सृजन, पेयजल प्रबन्धन, पशु संरक्षण, अनुग्रह सहायता, खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अन्य सभी उपाय जिनसे एक ओर तो जनता को भूख से बचाया जा सके तथा दूसरी ओर प्रभावित जनसंख्या की जीवन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए समस्त कार्यकरणी इसका विस्तृत विवरण अकाल सहायता एवं आपदा प्रबन्धन मैन्युअल में अलग से अद्यतन प्रकाशित किया जायेगा, जिसके अनुसार सभी विभाग न केवल सूखे से निपटने के लिये तात्कालिक व्यवस्था करेंगे, बल्कि भविष्य में अकाल के प्रभाव के खतरों से बचाने हेतु दीर्घकालीन योजना भी बनायेंगे । इन सभी दीर्घकालीन योजनाओं को पानी की मित्तव्ययता, उपलब्ध पानी का अनुकूलतम उपयोग तथा वर्षा का पानी संग्रहण तथा कृत्रिम पुनर्भरण एवं कम पानी के उपयोग पर आधारित फसल चक्रों को लागू करने के साथ-साथ भू-संरक्षण कार्यो एवं वन विकास के कार्यों को हाथ में लिया जायेगा तथा राज्य की जल नीति पर पुनर्विचार करते हुए भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल आरक्षित किया जायेगा तथा पेयजल प्रथम प्राथमिकता होगी एवं राज्य की जल नीति को सभी सम्बन्धित विभाग प्रभावी रूप से लागू करेंगे। सूखा एवं अकाल प्रबन्धन का नोडल विभाग सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग होगा।

2. बाढ़- बाढ़ के प्रभावी नियन्त्रण के लिये प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर अपने जिले की आपातकालीन योजना बनायेंगे, जिसमें उन स्थानों को चयनित करेंगे जहाँ

कि बाढ़ आने की सम्भावना हो तथा बाढ़ बचाव से मुकाबला करने के लिये वह सभी उपाय जिसमें अचानक पानी आने पर उसे कैसे रोका जाये, पानी से डूबने की स्थिति में आदमियों एवं उनके मूल्यवान सामान को कैसे खाली कराया जाये, उनको अस्थायी रूप से ठहराने के लिये अस्थायी आश्रय स्थल का चयन तथा उनके खाने, सुरक्षित पेयजल एवं दवाईयों तथा सफाई की व्यवस्था इन आश्रय स्थलों पर भली प्रकार से हो।

2.2 बाढ़ की स्थिति में पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था एवं सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अतः सम्बन्धित विभाग उन सारी व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर ठीक कर जनता को राहत प्रदान करने की एक संवेदनशील व्यवस्था रखेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ की वजह से पानी दुषित हो जाता है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती है, उनकी रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही करेगा।

2.3 बाढ़ से होने वाले फसल के नुकसान तथा मकानों की क्षतिग्रस्त होने का जिला प्रशासन तुरन्त सर्वे कराकर प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करेगा।

2.4 बाढ़ की स्थिति में तात्कालिक राहत के लिये नावों, पानी निकालने के इंजन, गोताखोरों तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिये यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी। अतः उक्त सभी साधनों की सूची जिला कलेक्टर अपने जिले की आई.डी.आर.एन. एवं एस.डी.आर. एन. नामक बेवसाईट पर रखेंगे। जिससे तुरन्त राहत पहुँचायी जा सके।

2.5 भविष्य में बाढ़ की स्थिति से निजात दिलाने के लिये जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि लोग शहरो के निचले क्षेत्रों, नालों एवं नदियों के किनारे जहाँ बाढ़ की सम्भावना अधिक होती है, वहाँ लोग अपने मकान आदि नहीं बनायें तथा इस तरह के क्षेत्रों में जहां आवासीय झोपड़ियां पूर्व से निर्मित है, ऐसे स्थानों पर आवास मालिकों को एक समयावधि में सुरक्षित स्थानों पर रहने बसावट के लिये प्रोत्साहित किया जाये। गरीब तबके के लोगों को निशुल्क आवासीय भूखण्ड संबंधित नगरपालिका एवं यू.आई.टी. द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

2.6 बाढ़ नियन्त्रण एवं बचाव का नोडल विभाग सिंचाई विभाग होगा जो राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन आदि समय-समय पर भिजवाने की कार्यवाही करेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन ग्रामीण तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं की प्रावधानित राशि से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ नियन्त्रण योजना को सिंचाई विभाग द्वारा तैयार एवं वित्तीय पोषण किया जायेगा।

3. ओलावृष्टि– राजस्थान में ओलावृष्टि की घटनाएं बार-बार होती हैं, लेकिन अधिकांशतः एक समय में एक ही स्थान पर सीमित रहती है। लगभग प्रत्येक वर्ष राज्य के एक अथवा किसी अन्य भाग में इसका प्रकोप होता रहता है, जिससे किसानों की फसलों को क्षति पहुँचती है एवं उन्हें आर्थिक हानि होती है, उसका जिला कलेक्टर तुरन्त सर्वे कराकर ओलावृष्टि में हुऐ नुकसान की तय सूची के अनुसार तात्कालिक राहत उपलब्ध कराने के प्रस्ताव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता आयुक्त को भिजवायेंगे एवं बाद स्वीकृती राहत उपलब्ध करा सकेंगे। इससे बचाव के लिए किसानों को अपनी फसलों का व्यापक बीमा कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

4. आग:– प्रायः आग लगने से मकान जलने, पशुओं के मरने तथा सम्पत्ति के नुकसान होने की संभावना रहती है। कहीं-कहीं जनहानि भी होती है। जिला कलेक्टरों को स्थायी निर्देश होंगे कि वे इस तरह की दुर्घटना का तत्काल सर्वे कराकर पीड़ित परिवारों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने बाबत आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त से प्राप्त करेंगे। पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने हेतु सहायता विभाग जिला कलेक्टरों के पास अग्रिम रूप से राशि उपलब्ध करायेगा।

4.2 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः आग लगने की घटनायें विशेष रूप से फसल कटाई के उपरान्त होती रहती हैं। इस तरह की घटनाओं के होने के कारणों का विधिवत अध्ययन किया जावेगा। इन घटनाओं को रोकने के

लिए रोकने के लिए सही की जायेगी, जिससे धन-जन की हानि को कम किया जा सके।

4.3 शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतों में तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में आग लगने के घटनाओं में वृद्धि हो रही है । भवन निर्माण के कानूनों की समीक्षा इस उद्देश्य से की जायेगी कि भविष्य में इमारतों का निर्माण इस प्रकार से किया जाये, जिससे न केवल अग्नि की घटनाओं को रोका जा सके बल्कि जिससे बचाव के कार्यो में सहूलियत रहे। स्वायत्त शासी संस्थाएँ यह भी सुनिश्चित करें कि बहुमंजिले क्षेत्रों में तथा शहर के अति व्यस्त क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड में पानी के लिये हाईडेन्ट की समुचित व्यवस्था हो।

4.4 सार्वजनिक स्थान जैसे सिनेमा हॉल, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी हॉल, स्कूल इत्यादि में आग लगने से बहुत व्यक्तियों की जान व सम्पत्ति की हानि की घटनाएँ हो सकती है। इनको रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे तथा संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन भवनों में इलेक्ट्रिक वायर्स की फिटिंग्स पुरानी हो चुकी हैं तो नोर्म्स के अनुसार पुनः फिटिंग करायी जाऐ जिससे अग्नि काण्ड की सम्भावनायें कम हो सकती हैं।

4.5 वनों तथा खदानों में आग से होने वाली हानि को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय वन एवं खान विभाग द्वारा किये जायेंगे और उनसे होने वाली हानि को कम किया जायेगा।

4.6 एयरपोर्ट के आस-पास पेट्रोल तथा वायुयान ईंधन की आग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं संबंधी व्यवस्था की जाने की कार्यवाही की जायेगी।

4.7 बड़े शहरो में बहुमंजिली इमारत में आग बचाव के समस्त उपाय, भवन निर्माण अनुमति से जोड़ा जाना चाहिए तथा स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएँ अपने बिल्डिंग बाई लॉज में आवश्यक प्रावधान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि पुराने एवं नये भवनो में आग से बचाव के सभी उपायों का पालन किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण की

स्वीकृति के समय यह आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिये कि जहाँ बहुमंजिले भवन बनाये जा रहे हैं वहाँ फायर ब्रिगेड तथा अग्नि शमन से सम्बन्धित वाहन उस भवन तक पहुँच सकते हैं या नहीं। यदि इस प्रकार के भवन संकड़ी गलियों में बनाये जा रहे हों जहाँ कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ बहुमंजिले भवनों की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिये। स्वायत्त शासन विभाग इसकी पालना सुनिश्चित करायेगा।

4.8 जिन बहुमंजिले भवनों में फायर फाईटिंग की व्यवस्था उक्त प्रावधानों के तहत नहीं है, उन्हे एक निश्चित अवधि में ये सारी व्यवस्था करने के लिये पाबन्द किया जाये। यदि भवन मालिक यह व्यवस्था करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा उस भवन को उपयोग में लेने के लिए मालिक को रोका जाये।

4.9 सभी सार्वजनिक भवनों की जैसे सिनेमाघर, अस्पताल, ऑडिटोरियम, स्कूलों आदि में फायर फाईटिंग की व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण सक्षम संस्था द्वारा किया जायेगा।

5. भूकम्प– बाड़मेर, जैसलमेर, आंशिक जालौर तथा अलवर एवं भरतपुर जिलों में जहां भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल में 6.0+ हो सकती है, इन क्षेत्रों में भूकम्प से होने वाली हानि की रोकथाम के लिए एक विशेष कार्ययोजना बनाई जायेगी तथा राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त करके इसका निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन किया जायेगा।

5.2 भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों में इमारतों के निर्माण में निर्माताओं द्वारा भूकम्प अवरोधी सामग्री व प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसके लिए मापदण्ड निर्धारित करेगा तथा इन्हें अधिसूचित करने के साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

5.3 इस विषय पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी की समीक्षा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आवास एवं

पर्यावरण विभाग, संबंधित तकनीकी संस्थाओं से मिलकर करेगा। इस समीक्षा से प्राप्त अनुशंषाओं के आधार पर स्पेसिफिकेशन संशोधित किये जायेंगे और इन सभी संस्थाओं को भेजे जायेंगे जो भवन निर्माण करने तथा भवन पूर्णता का प्रमाण–पत्र देती हैं। इस विषय पर प्रतिवेदन राज्य स्तरीय मंत्रिमण्डलीय समिति तथा विभागीय समिति के समक्ष रखा जायेगा। नगरीय विकास विभाग इन कार्यो के लिए नोडल विभाग होगा जिसका दायित्व इस समीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का भी होगा।

5.4 भूकम्प तीव्रता के क्षेत्र में स्थित इमारतों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में भूकम्प अवरोधी तकनीक से सुधार किया जायेगा एवं भवन मालिकों के द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि इमारत में भूकम्प अवरोधी तकनीक अपनाते हुए सुधार कर लिया गया है।

5.5 राज्य शासन पहल करते हुए सभी शासकीय इमारतों में प्राथमिकता पर भूकम्प अवरोधी तकनीक को अपनाते हुए आवश्यक सुधार करेगा, जिससे यह कार्य निजी आवासीय भवनों व इमारतों के मालिकों के समक्ष उदाहरण बन सके।

5.6 कार्य की पूर्णता का प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी/संस्था निर्धारित विशेष विवरण के अनुसार कार्य न करने तथा शासकीय निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्वयं उत्तरदायी होंगे। वर्तमान पदस्थापना से हटने के पश्चात् भी उनका दायित्व बरकरार रहेगा। दायित्व निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग अपने अधिनियम/नियम/कोड में इसका समावेश करते हुए दांडिक प्रावधान करेंगे।

5.7 जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर अलवर तथा भरतपुर जो भूकम्प जोन पाँच में आते है, वहाँ की सभी स्कूलों, अन्य सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, सिनेमाघरों एवं ऑडिटोरियम आदि की पुनः संयोजन की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग अपने विभागीय बजट से समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर करेंगे। निजी आवासों व

इमारतों के पुनः संयोजन को सुलभ बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु व मध्यम कालीन ऋण, आवास मालिकों को उपलब्ध कराने के लिए पहल की जायेगी जिससे आवास मालिक अपने भवन/इमारत को भूकम्प अवरोधी बना सकें। इस कार्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश प्रसारित करने के लिए भारत सरकार से कहा जायेगा।

5.8 भूकम्प के संवेदनशील क्षेत्रों में भवनों तथा अन्य संपत्तियों का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। बीमा संस्थाओं को संवेदनशील क्षेत्र के लिए ऐसी विशेष स्कीम तैयार करने के लिए प्रेरित किया जायेगा, जिसमें लम्बी अवधि के लिए बीमा एक मुश्त प्रीमियम पर कुछ रियायत देते हुए कराया जा सके। यह वार्षिक बीमा एवं वार्षिक प्रीमियम देने की सुविधा के साथ ही साथ उपलब्ध रहेगी। अधिक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले भवनों जैसे सिनेमा हॉल आदि में बीमा करवाना अनिवार्य किया जावे। संबंधित विभाग अपने अधिनियम में इसका दाण्डिक प्रावधानों के साथ समावेश करेंगे।

5.9 संवेदनशील क्षेत्रों में निर्धारित समयावधि में यदि आवास/इमारत का कोई मालिक अपने मकान व सम्पत्ति का बीमा नहीं कराता है, तो जब भूकम्प आयेगा तो ऐसे व्यक्ति को हानि होने पर किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीमा न कराने की स्थिति में राज्य शासन पर वित्तीय भार बढ़ता है एवं राज्य शासन पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति उस सहायता का अधिकारी रहेगा, जो साधारण तौर पर संपत्ति विहीन व्यक्ति को प्रदान की जाती है।

5.10 अन्य निम्न व मध्यम खतरे वाले जोन में भी खासतौर से जयपुर शहर में इसी प्रकार की कार्ययोजना ताकि आपदा के कुप्रभावों को कम करके जन-धन की हानि कम से कम हो, अपनाई जायेगी।

5.11 भूकम्प प्रभावित जिलो के हर गांव एवं कस्बे में भूकम्प बचाव टीमों का गठन किया जायेगा तथा उन्हें भूकम्प से होने वाले सम्बन्धित नुकसान,

उससे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जायेंगे।

6. औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाएँ:– औद्योगिक एवं रासायनिक तत्वों का पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन, पशु व मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विषाक्त प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा और उन्हें अभिलेखित किया जायेगा। ऐसे सभी हानिकारक उद्योगों को रिहायशी बस्तियों से सुरक्षित दूरी पर स्थापित किया जायेगा। जमीन के उपयोग की योजना में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रिहायशी बस्तियों को इन उद्योगों के पास निर्मित होने की अनुमति नहीं दी जाये।

6.2 उद्योग विभाग द्वारा शहर के बीच में स्थापित हानिकारक उद्योगों को शहर के बाहर भेजने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में उन्हें स्थानान्तरित किया जाए और भूमि उपयोग योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस प्रकार के उद्योगों के पास कोई आबादी फिर स्थापित न हो।

6.3 औद्योगिक सुरक्षा एवं वातावरण को परिरक्षित करने के लिए वर्तमान कानूनों को कड़ाई से कार्यान्वित किया जायेगा। इसके साथ ही साथ इन सभी कानूनों की समीक्षा की जायेगी जिससे औद्योगिक एवं वातावरण की सुरक्षा एवं परिरक्षा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। श्रम विभाग को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित वर्तमान अधिनियमों व नियमों को लागू करावे।

6.4 औद्योगिक इकाई ऐसे हानिकारक पदार्थो को जिनका वह उपयोग करती है या जो इकाई से प्रवाहित होते हैं, उनके संभावित हानिकारक प्रभाव की जानकारी आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रचार माध्यम से प्रसारित करेगा। प्रभाव क्षेत्र में आने वाली जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि दुर्घटना की स्थिति में हानिकारक प्रभाव से किस प्रकार से बचा जा सकता है।

6.5 औद्योगिक इकाई सुरक्षा के उन सभी उपायों को काम में लायेगी जिससे कारखाने के अन्दर एवं बाहरी क्षेत्र की आबादी पर घातक प्रभाव न पड़े। प्रत्येक उद्योग को उनके यहाँ घटने वाली दुर्घटनाओं के लिए स्वयं एक

स्थाई फण्ड निर्माण के लिए भी प्रेरित किया जायेगा।

6.6 इन सभी औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाओं का नोडल विभाग श्रम विभाग होगा। अतः श्रम विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित उद्योग या फैक्ट्री द्वारा नियमानुसार सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाय अपनाये गए हैं।

7. दुर्घटनाएः– रेल एवं सड़क यातायात में भारी वृद्धि हुई है और पर्याप्त सुरक्षा के उपायों के अभाव में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन से संबंधित सुरक्षा के मापदण्डों में सुधार किया जावेगा तथा इनका कड़ाई से पालन कराया जायेगा।

7.2 चौकीदार विहीन रेलवे क्रासिंग पर विभिन्न प्रकार के यातायात के चालन में जोखिम होता है। रेल विभाग को सभी प्रकार की चौकीदार विहीन क्रासिंग को धीरे-धीरे योजनाबद्ध ढंग से चौकीदार रखने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

7.3 नई सड़कों के निर्माण में उतार-चढाव की डिजाईन ऐसी बनाई जायेगी जिससे अन्धेमोड़ व दुरारोह, सीधी चढ़ाई की स्थिति जहाँ तक हो सके निर्मित न हो।

7.4 यातायात को सतर्क करने के लिए सड़क के दोनों ओर तथा महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों एवं सडकों की स्थिति दर्शाने वाले बोर्ड जो खतरे के सूचक हों, लगाये जायेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे विज्ञापन जो यातायात चालकों का दूसरी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें हटाया जायेगा तथा उन्हें लगाने को हतोत्साहित किया जायेगा।

7.5 वाहनों के रफ्तार संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू किया जायेगा। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जायेगा, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

7.6 मानसून के समय निचले स्तर वाली सड़को एवं पुलों पर यातायात को रोकने की कार्यवाही की जाए। इस संबध में विधिसम्मत प्रावधान लागू करना चाहिए। चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में ऐसे सभी पुलों पर स्वचालित बैरियर लगाने चाहिए।

7.7 राजमार्गो पर वाहन को दुर्घटना से बचाने तथा सुरक्षित यातायात के लिए राजमार्गो के समीप दुकानें/भवनों आदि का निर्माण न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विधिसम्मत नियम बनाये जायें।

7.8 प्रदेश के राजमार्गो पर हाईवे पेट्रोलिंग चेकपोस्टों की स्थापना की जावे। रेल एवं सड़क दुर्घटना घटित होने के बाद घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल भेजने की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिये आवश्यक रूप से राज्य स्तर पर आयुक्त, परिवहन विभाग तथा जिला स्तर पर जिला परिवहन अधिकारी, राज. राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों एवं उनके ड्राईवरों तथा निजी वाहन मालिकों की गाड़ियों के नम्बर एवं उनके मालिको के फोन नम्बर भी जिला स्तर पर तैयार की गयी वेबसाइट से कम्प्यूटर पर उपलब्ध करायेंगे तथा हर छः माह में उनके फोन एवं पते आदिनांक करने की व्यवस्था करेंगे। राज्य स्तर पर आयुक्त कार्यालय में 24 घन्टे का कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाना चाहिये। घायलों को शिफ्ट करने में जो भी परिवहन का खर्चा हो, उसके लिए एक अलग से फण्ड हो, जिससे तुरन्त भुगतान हो सके।

8. *महामारी*– राज्य का स्वास्थ्य विभाग उन बीमारियों को सूचीबद्ध करेगा जिसके कारण महामारी हो सकती है। वह सूची अनुसार महामारी वाली बीमारियें से निपटने के लिए कार्ययोजना भी तैयार करेगा।

9. *संस्थागत सहयोग*– आपदा का प्रबंधन अब धीरे-धीरे एक विशेषज्ञ विषय हो गया है। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत सहयोग की निरन्तर आवश्यकता होगी। अतः राज्य के आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन केन्द्र राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को यह कार्य सौंपा जायेगा।

यह संस्था निम्न कार्यो के लिए जिम्मेदार होगी :-

1. राज्य में आने वाली आपदाओं की निरंतर मॉनीटरिंग करना।
2. सभी तरह की आपदाओं का विवरण रखना।

3. राज्य, संभाग व जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने एवं उन्हें अद्यतन बनाने में सहयोग देना और यह सुनिश्चित करना कि यह कार्य नियमित ढंग से किया जा रहा है।

4. आपदा प्रबंधन के तकनीकी व विज्ञान संबंधी ज्ञान की जानकारी को अद्यतन करना एवं सभी संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं के सदस्यों तक इस जानकारी का प्रचार-प्रसार करना।

5. राहत व पुनर्वास के कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करना और इससे संबंधित सभी कार्यवाही का विवरण रखना।

6. आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण देना और उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित करना।

7. आपदा के संकट के समय राज्य राहत आयुक्त एवं स्थानीय प्रशासन को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करना।

8. जलवायु परिवर्तन एवं भू-तापीयता (ग्लोबल वार्मिंग) का राज्य में पडने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

10. *वित्तीयव्यवस्था*– नीति में आपदा के तीनों चरणों के लिए वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता होगी, खासतौर से आपदा से पूर्व, भावी आपदाओं को रोकने के लिये एवं आपदा से हुऐ नुकसान के पुनर्विकास के लिये। जबकि आपदा राहत कोष से केवल आपदा के घटने के बाद राहत व्यवस्था हेतु ही राशि प्राप्त होती है, अतः आपदा कोष से उक्त दोनों चरणों के लिये वित्तीय व्यवस्था करना संभव नही होगा। अतः इन दोनों चरणों के वित्त की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार करनी होगी। आपदा से पूर्व तैयारी हेतु ढांचागत निर्माण के लिये राज्य सरकार हर विभाग के अपने बजट का 10 प्रतिशत भविष्य के लिए हर वर्ष निर्धारित कर सकती हैं।

10.2 औद्योगिक व रासायनिक उद्योगों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाली हानि की भरपाई जिम्मेदार औद्योगिक इकाई के द्वारा की जावेगी।

10.3 सडक दुर्घटना के पीड़ितों को राहत देने का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में

दिया गया है, फिर भी तात्कालिक राहत, वित्तीय, चिकित्सकीय या अन्य सहायता राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक कोष स्थापित किया जायेगा। वाहन मालिकों पर उपयुक्त कर लगाकर इस कोष में अंशदान लिया जायेगा। यह कोष राज्य के लोकलेखा का भाग होगा।

10.4 उन योजनाओं जिनमें सड़क वाहनों से दुर्घटना के पीड़ितों को क्षति पूर्ति प्रदान की जाती है, प्रचारित किये जाने की आवश्यकता है।

10.5 जिला कलेक्टर को पीड़ित जनसंख्या को राहत पहुँचाने के लिए तात्कालिक व्यय हेतु जनता से अंशदान स्वीकार करने के लिए अनुमति दी जायेगी। इस तरह से प्राप्त राशि को बैंकों में एक अलग खाता खोलकर रखा जायेगा। इस खाते से निकाली गई व जमा की गई राशि का लेखा प्रत्येक वर्ष राज्य के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता आयुक्त को भेजा जायेगा तथा इसका वार्षिक सी.ए. ऑडिट कराया जायेगा।

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की क्षति पूर्ति के लिए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिसके लिए आवेदन तहसीलदार और जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए जाते हैं। आवेदन का प्रारुप आगे दिया हुआ है। जिसे ए-4 आकार के सफेद पेपर पर टाइप करवाकर तहसीदार और कलेक्टर कार्यालय में जमा कराना होता है। जांच के बाद आपदा मोचन निधि के मानदण्डानुसार आवेदनकर्ता को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर – 1070
सभी जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्षों का दूरभाष नम्बर – 1077

(प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की सहायता हेतु प्रार्थना पत्र)

श्रीमान तहसीलदार/कलेक्टर महोदय
तहसील/जिला.....
(राजस्थान)

विषयः– प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर नियमानुसार सहायता प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. प्रार्थी का नाम ..... पिता/पति का नाम .....
2. जाति ..... उम्र .....
3. ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....
4. प्राकृतिक आपदा का विवरण .....
5. आपदा घटित होने का दिनांक .....
6. आपदा से प्रभावित क्षेत्र .....
7. आपदा से प्रार्थी को हुई क्षति का विवरण :–
   - (i) जन क्षति (मृतक/घायल) का विवरण (यदि कोई हो) .....
   - (ii) पशु क्षति का विवरण (यदि कोई हो) .....
   - (iii) आवासीय भवन/झोपड़ी की क्षति का विवरण (यदि कोई हो) .....
   - (iv) कृषि भूमि/फसल की क्षति का विवरण (यदि कोई हो) .....
   - (v) अन्य कोई क्षति .....

8. पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि कोई हो तो) की संख्या ..... दिनांक .....

कृप्या उक्त प्रकार से प्रार्थी को हुई क्षति के लिये आपदा मोचन निधि के मानदण्डानुसार सहायता शीघ्र स्वीकृत कराने का श्रम करें।

प्रार्थी

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
(नाम .....)